**भारत सरकार**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 3551**

**03.04.2017 को उत्तर के लिए**

**प्रदूषणकारी उद्योगों को बंद करना**

**i**

**3551. डा. आर. लक्ष्‍मणन:**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन उद्योगों का ब्‍यौरा क्‍या है जिन्‍हें 'रेड' (खतरनाक) उद्योग के रूप में वगीकृत किया गया है जो कि सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग माने जाते हैं;

(ख) क्‍या सरकार ने इन उद्योगों को धीरे-धीरे बंद करने हेतु कोई विस्‍तृत योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है और यदि नहीं, तो इसके क्‍या कारण हैं?

**उत्‍तर**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)**

**(श्री अनिल माधव दवे)**

(क) से (ग) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण सूचकांक संकल्‍पना, जो उत्‍पन्‍न उत्‍सर्जन, बहिस्राव, खतरनाक अपशिष्‍ट और संसाधनों के उपभोग का प्रकार्य है, के आधार पर औद्योगिक क्षेत्रों की लाल, संतरी, हरी या सफेद श्रेणियों के अंतर्गत श्रेणीकरण में संशोधन किया है। ऑटोमोबाइल विनिर्माण, लेड एसिड बैटरी विनिर्माण, क्‍लोरीनेटिड हाइड्रोकार्बन्‍स वाली प्रक्रियाओं, पटाखा विनिर्माण और बड़ी भंडारण सुविधाओं, फास्‍फोरस और उसके यौगिकों, लुगदी और कागज इत्‍यादि जैसे औद्योगिक क्षेत्रों संबंधी 60 लाल श्रेणियां हैं। इस श्रेणीकरण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उद्योग की स्‍थापना इस विधि से स्‍थापित की जाए जो पर्यावरणीय उद्देश्‍यों के अनुरूप हो। पर्यावरण की सुरक्षा एवं सुधार और उससे जुड़े मामले के लिए पर्यावरणीय प्रदूषकों के निस्‍सरण और खतरनाक पदार्थों के प्रबंधन को विनियमित करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत एक तंत्र विद्यमान है।

\*\*\*\*